झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–954 वर्ष 2017

गणेश कुमार .... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य

2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, रांची

3. पुलिस महानिदेशक–सह–पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), रांची

4. पुलिस उप महानिरीक्षक, रांची

5. झारखण्ड सशस्त्र पुलिस–5, देवघर के समादेष्टा

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री मोहन दुबे, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री राजीव रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता

05/14/06/2018 पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याची ने इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रत्यर्थियों को स्टेनो सब–इंस्पेक्टर के पद के लिए आंतरिक परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करने और उनके द्वारा दाखिल अभ्यावेदन पर विचार करने और आदेश पारित करने का अवसर प्रदान करने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने आगे अनुरोध किया है कि नियम 749 और परिशिष्ट–42 के

अनुसार स्टेनो सब–इंस्पेक्टर के पद के लिए आंतरिक परीक्षा आयोजित करने और याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता जे0ए0पी0–5, देवघर में तैनात था। दिनांक 13.12.2016 के ज्ञापन संख्या 1418 के माध्यम से, चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्टेनो सब–इंस्पेक्टर के पद के लिए आंतरिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों की एक सूची जारी की गई थी, जिसमें बिना किसी कारण के याचिकाकर्ता का नाम नहीं दिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन के बावजूद, उसकी शिकायत का समाधान नहीं किया गया है और इस प्रकार, उसने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. श्री मोहन दुबे, याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस मैनुअल के तहत नियम स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता और विभाग के अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों को स्टेनो सब–इंस्पेक्टर के पद के लिए आंतरिक परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान प्रदान करता है और इस प्रकार, उत्तरदाता का कार्रवाई अवैध, मनमाना और दुर्भावना से दूषित है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थियों को उचित निर्देश दिया जा सकता है कि वे यचिकाकर्ता को उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद स्टेनो सब–इंस्पेक्टर के पद के लिए आंतरिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दें। विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थियों द्वारा उठाया गया यह तर्क कि याचिकाकर्ता स्टेनो सब–इंस्पेक्टर के पद के लिए परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं है क्योंकि वह हवलदार है न कि साक्षर सिपाही और यह तर्क पुलिस मैनुअल के नियम 749 के मद्देनजर मान्य नहीं

है, जो अन्य पदों पर बैठे व्यक्तियों को भी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए स्पष्ट रूप से हकदार बनाता है।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है।

श्री राजीव रंजन, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस मैनुअल के नियम 749 के अनुसार, साक्षर कांस्टेबल स्टेनो सब–इंस्पेक्टर के पद के लिए आंतरिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। याचिकाकर्ता एक हवलदार है न कि लिटरेट कांस्टेबल है और इसलिए, नियम के अनुसार वह उक्त पद के लिए हकदार नहीं है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 13.12.2016 के पत्र के अेनुसार, जो याची द्वारा अनुलग्नक–1 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, यह स्पष्ट है कि केवल साक्षर कांस्टेबल ही उक्त पद के लिए आवेदन कर सकता है।

6. पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्क को सुनने के बाद और पुलिए मैनुअल के नियम 749 का अध्ययन करने के बाद, मुझे रिट याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल साक्षर कांस्टेबल स्टेनो सब–इंस्पेक्अर के पद के लिए परीक्षा में उपस्थित हो सकता है और इस प्रकार, इस रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं है।

7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0]